खण्ड – 1

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं

1. अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 06 से 08)

1	योजना का नाम	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 08)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	अनुसूचित जाति संवर्ग के कक्षा 6 से 8 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 1984–85 (संशोधित 1989)
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता–पिता/जीवित न होने पर संरक्षक आयकर दाता न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। 6. विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6	योजना में देय सुविधाएं	**क्र.सं.** / **विद्यार्थी** / **छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)** 1 / छात्र / 75/– प्रतिमाह 2 / छात्रा / 125/– प्रतिमाह
7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• जाति प्रमाण–पत्र • आय प्रमाण–पत्र • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

2. अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 08)

1	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 08)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कक्षा 6 से 8 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 1984–85 (संशोधित 1989)
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता–पिता/जीवित न होने पर संरक्षक आयकर दाता न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/ सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। 6. विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्र.सं.	विद्यार्थी	छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)
1	छात्र	75/– प्रतिमाह
2	छात्रा	125/– प्रतिमाह

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• जाति प्रमाण–पत्र • आय प्रमाण–पत्र • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

3. अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 से 10)

1	योजना का नाम	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 से 10)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	अनुसूचित जाति संवर्ग के कक्षा 9 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2013–14 (अंतिम संशोधन 19.09.2017)
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता–पिता /जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 2.5 लाख से अधिक न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/ सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। 6. विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्र.सं.	डेस्कॉलर	छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)
1	छात्र–छात्रा	225/– प्रतिमाह
2	एकमुश्त अनुदान	750/– प्रति वर्ष
क्र.सं.	**हॉस्टलर**	**छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)**
1	छात्र–छात्रा	525/– प्रतिमाह
2	एकमुश्त अनुदान	1000/– प्रति वर्ष

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• जाति प्रमाण–पत्र • आय प्रमाण–पत्र • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	4504.00 लाख राज्य का वचनबद्ध दायित्व के उपर शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा देय।

4. अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 से 10)

1	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 से 10)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कक्षा 9 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2013–14
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता–पिता/जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 2.0 लाख से अधिक न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/ सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। 6. विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्र.सं.	डेस्कॉलर	छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)
1	छात्र–छात्रा	150/– प्रतिमाह
2	एकमुश्त अनुदान	750/– प्रति वर्ष
क्र.सं.	**हॉस्टलर**	**छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)**
1	छात्र–छात्रा	350/– प्रतिमाह
2	एकमुश्त अनुदान	1000/– प्रति वर्ष

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• जाति प्रमाण–पत्र • आय प्रमाण–पत्र • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	केन्द्र प्रवर्तित योजना (75 प्रतिशत केन्द्रांश 25 प्रतिशत राज्यांश)

5. अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 10)

1	योजना का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 10)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 06 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2004–05 (अंतिम संशोधन 2017–18)
4	लाभान्वित वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता–पिता/जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 2.5 लाख से अधिक न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/ सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा।
6	योजना में देय सुविधाएं	**क्र.सं.** / **डेस्कॉलर** / **छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)** 1 / छात्र–छात्रा / 100/– प्रतिमाह
7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• जाति प्रमाण–पत्र • आय प्रमाण–पत्र • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	केन्द्र प्रवर्तित योजना (50 प्रतिशत केन्द्रांश 50 प्रतिशत राज्यांश) राज्य सरकार देय राज्यांश के अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

6. सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के कक्षा 01 से 10 में नियमित अध्ययनरत बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	1977–78
4	लाभान्वित वर्ग	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए।
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का पुत्र/पुत्री हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/ सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 4. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा।
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्र.सं.	डेस्कॉलर (कक्षा 1 से 10)	छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)
1	छात्र–छात्रा	110/– प्रतिमाह
2	एकमुश्त अनुदान	750/– प्रति वर्ष
क्र.सं.	**हॉस्टलर (कक्षा 3 से 10)**	**छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)**
1	छात्र–छात्रा	700/– प्रतिमाह
2	एकमुश्त अनुदान	1000/– प्रति वर्ष

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• माता–पिता का सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय मेंलिप्त होने का प्रमाण–पत्र • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	1446.15 लाख राज्य का वचनबद्ध दायित्व के उपर शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा देय।

7. अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 10)

1	योजना का नाम	अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 10)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	अति पिछड़ा वर्ग {बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रेबारी (देबासी),गडरिया (गाडरी)गायरी के} कक्षा 06 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2011–12
4	लाभान्वित वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता–पिता/जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 2.0 लाख से अधिक न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/ सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा।
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्र. सं.	विद्यार्थी	छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)	
		कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 10
1	छात्र	50/– प्रतिमाह	60/– प्रतिमाह
2	छात्राएं	100/– प्रतिमाह	120/– प्रतिमाह

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• जाति प्रमाण–पत्र • आय प्रमाण–पत्र • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

8. अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)

1	योजना का नाम	अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	अल्पसंख्यक संवर्ग {मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन एवं पारसी} के कक्षा 01 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2008–09
4	लाभान्वित वर्ग	अल्पसंख्यक संवर्ग के विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी अल्पसंख्यक संवर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/मदरसों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता–पिता/जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 1.0 लाख से अधिक न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/ सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी ने गत सत्र में निचली कक्षा में 50 प्रतिशत अंक/समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हों। 6. एक परिवार के अधिकतम दो विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृत्ति देय है।
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्र. सं.	मद	छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)
1	प्रवेश शुल्क	500/– प्रतिवर्ष (कक्षा 6–10) डे–स्कॉलर व हॉस्टलर हेतु
2	शिक्षण शुल्क	350/– प्रतिमाह (कक्षा 6–10) डे–स्कॉलर व हॉस्टलर हेतु
4	रख–रखाव भत्ता	100/– प्रतिमाह (कक्षा 1–10) डे–स्कॉलर के लिए 600/– प्रतिमाह (कक्षा 6–10) हॉस्टलर के लिए

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	आवेदन विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा ''नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल'' पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाता है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करने के पश्चात उसका प्रिंट मय आवश्यक दस्तावेज संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है में जमा करवाया जाता है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• जाति प्रमाण–पत्र, बैंक पासबुक की प्रति • आय प्रमाण–पत्र, गत अंकतालिका की प्रति • भामाशाह व आधार नंबर, मूलनिवास प्रमाण–पत्र
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत केन्द्रसरकार द्वारा देय।

9. प्री कारगिल (01.04.99 से पूर्व) तथा पोस्ट कारगिल (01.04.99 के पश्चात) युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	प्री कारगिल (01.04.99 से पूर्व) तथा पोस्ट कारगिल (01.04.99 के पश्चात) युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 12)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	उक्त युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के कक्षा 1से 12 के बच्चों का यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2004–05
4	लाभान्वित वर्ग	उक्त युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के पुत्र/पुत्रियां
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी उक्त युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों का पुत्र/पुत्री हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो।
6	योजना में देय सुविधाएं	**छात्रवृत्ति की दरें –180/– प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह हेतु)**
7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• सैनिक का शहीद/स्थायी विकलांगता का प्रमाणपत्र • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

10.भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति (कक्षा 11 व 12)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2001–02
4	लाभान्वित वर्ग	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियां
5	योजना की पात्रता	1. छात्राभूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्री हो। 2. छात्रा ने कक्षा 10 में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। 3. छात्रा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 11 व12 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रही हो।
6	योजना में देय सुविधाएं	**छात्रवृत्ति की दरें –100/– प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह हेतु)**
7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/परिचय पत्र की प्रति (सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित) • भामाशाह एवं आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय ।

11.विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ देवनारायण गुरूकुल योजना) कक्षा 6 से 12

1	योजना का नाम	विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/देवनारायण गुरूकुल योजना) कक्षा 06 से 12
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य के अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निर्धारित संख्या में चयन कर, कक्षा 6में राज्य सरकार द्वारा चयनित निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	1. अजा/अजजा विभागीय वर्ष 1961–62 2. अजजा टी.ए.डी वर्ष 2001–02 3. एम.बी.सी. देव.गुरू.योजनावर्ष 2011–12
4	लाभान्वित वर्ग	अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अति पिछड़ा संवर्गों के विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। 2. विद्यार्थी राजकीय/निजी विद्यालय से कक्षा 5 में न्यूनतम सी–ग्रेड से उत्तीर्ण हो। 3. विद्यार्थी के माता पिता/संरक्षक आयकरदाता नहीं हो। 4. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूलनिवासी हो। 5. योजना में एक माता–पिता की दो संतानें ही पात्र होंगी। 6. प्रतिवर्ष चयन हेतु निर्धारित रिक्तियां–

क्र स	योजना	रिक्तियां		
		छात्र	छात्रा	योग
1	अजा/अजजा विभागीय	300	200	500
2	एम.बी.सी. देव.गुरू.योजना	300	200	500
3	अजजा टी.ए.डी. (5 जिले)	170	130	300
4	अजजा टी.ए.डी. (28 जिले)	120	80	200

6	योजना में देय सुविधाएं	निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय को देय राशि

क्र.सं	प्रदत्त सुविधाओं के लिए	देय राशि
1	प्रवेश–शिक्षण शुल्क	अधिकतम 50,000/– प्रति विद्यार्थी वार्षिक अथवा विद्यालय द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि, जो भी न्यून हो
2	स्वच्छ आवास एवं बिस्तर	
3	पोशाक (विद्यालय व छात्रावास हेतु)	
4	पाठ्यपुस्तकें व लेखन सामग्री	
5	गुणात्मक शिक्षा	

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नामव पता	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र • कक्षा 5 अंकतालिका की प्रति • भामाशाह व आधार नंबर • मूलनिवास प्रमाण–पत्र • माता–पिता का स्वघोषणापत्र
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय तथा अजजा टी.ए.डी. को जनजातिय क्षैत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा देय

12. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना

<table>
<tr><td>1</td><td>योजना का नाम</td><td>राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना</td></tr>
<tr><td>2</td><td>योजना का संक्षिप्त परिचय</td><td>द्वि–स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतिम चयनोपरान्त स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति अथवा एकमुश्त प्रोत्साहन का लाभ दिया जाता है। परीक्षा का आयोजन एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान,अजमेर के माध्यम से किया जाता है तथा नोडल एजेंसी –NCERT New Delhiहै।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष</td><td>वर्ष–2013अंतिम संशोधन वर्ष 2014–15</td></tr>
<tr><td>4</td><td>लाभान्वित वर्ग</td><td>उक्त द्वि–स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>योजना की पात्रता</td><td>1. राज्य के समस्त राजकीय, निजी (मान्यता प्राप्त) एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों की कक्षा 10 में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों (आरक्षित वर्ग अजा, अजजा एवं दिव्यांग हेतु न्यूनतम अंक सीमा 50% है) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आवेदन के लिए पात्र हैं।
2. प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के दोनों स्तरों में सफल हो कर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र हैं।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>योजना में देय सुविधाएं</td><td>
<table>
<tr><th>क्रस</th><th>कक्षा (राजकीय विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियों को)</th><th>छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>11 एवं 12</td><td>1250/– रू प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td>2</td><td>स्नातक एवं स्नातकोत्तर</td><td>2000/– रू प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कक्षा–10 (निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियोंको) वर्ष–2015–16</td><td>10,000/– रू एकमुश्त</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7</td><td>योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय</td><td>संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता</td><td>संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के वेबपोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज</td><td>• परीक्षा अंकतालिका की प्रति
• बैंक पासबुक की प्रति
• भामाशाह–आधार नंबर</td></tr>
<tr><td>10</td><td>योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र</td><td>सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय</td></tr>
<tr><td>11</td><td>भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात</td><td>छात्रवृत्ति राशिराजकीय विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियों को शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा देय।
एकमुश्त प्रोत्साहन राशि निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियोंको वर्ष–2015–16 शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।</td></tr>
</table>

13. पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना

1	योजना का नाम	पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को चयनोपरान्त स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति अथवा एकमुश्त प्रोत्साहन का लाभ दिया जाता है। परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान,अजमेर द्वारा किया जाता है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष–2014–15अंतिम संशोधन वर्ष 2017–18
4	लाभान्वित वर्ग	उक्त पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित विद्यार्थी।
5	योजना की पात्रता	1. राज्य के समस्त राजकीय, निजी (मान्यता प्राप्त) एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों की कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 व 11 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आवेदन के लिए पात्र हैं। 2. परीक्षा में चयनित विद्यार्थी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र हैं।
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्रस	आवेदन के समय कक्षा	चयनित विद्यार्थियों की संख्या एवं चयन का आधार	छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)		एकमुश्त प्रोत्साहन (प्रत्येक में 20–20)
			11–12	स्नातक–स्नातकोत्तर	
1	10	प्रत्येक में 50–50 विद्यार्थी (न्यूनतम 80% प्राप्तांक)	1250/– प्रति माह	2000/– प्रति माह	प्रत्येक में प्रथम को 4000/– शेष 19 को 2000/–
2	12 Arts				
3	12 Com.				
4	12Sc.				

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है। (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के वेबपोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।)
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• परीक्षा अंकतालिका की प्रति • बैंक पासबुक की प्रति • भामाशाह–आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

खण्ड – 2

बालिका प्रोत्साहन योजनाएं

14. गार्गी पुरस्कार

1	योजना का नाम	गार्गी पुरस्कार (कक्षा 11 व 12)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	कक्षा–10 की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को देय है। तथा नोडल एजेंसी – बालिका शिक्षा फाउण्डेशन है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 1998
4	लाभान्वित वर्ग	कक्षा–10 की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्राएं।
5	योजना की पात्रता	1. छात्रा ने कक्षा 10 में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। 2. छात्राकक्षा 11 या 12 में नियमित अध्ययनरत हो। 3. छात्राके अभिभावकों की आय, व्यवसाय एवं जातिवर्ग आदि का कोई बंधन नहीं है।
6	योजना में देय सुविधाएं	कक्षा 11 में – रु 3000/– कक्षा 12 में – रु 3000/– प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को समारोह में देय।
7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका की प्रति • बैंक पासबुक की प्रति • भामाशाह व आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

15. बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार

1	योजना का नाम	बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	कक्षा 12 की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करस्नातक में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को देय है। तथा नोडल एजेंसी – बालिका शिक्षा फाउण्डेशन है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2008–09
4	लाभान्वित वर्ग	कक्षा 12 की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करस्नातक में नियमित अध्ययनरत छात्राएं।
5	योजना की पात्रता	1. छात्रा ने कक्षा 12 में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। 2. छात्रास्नातक में नियमित अध्ययनरत हो। 3. छात्राके अभिभावकों की आय, व्यवसाय एवं जातिवर्ग आदि का कोई बंधन नहीं है।
6	योजना में देय सुविधाएं	एक मुश्त रु 5000/– प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को समारोह में देय।
7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• उच्च माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका की प्रति • बैंक पासबुक की प्रति • भामाशाह व आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

16. इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

1	योजना का नाम	इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	कक्षा–8, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तथा संस्कृत शिक्षा की कक्षा–8, प्रवेशिका एवं वरि.उपा. परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 08 संवर्गो (सामा,अजा,अजजा,अन्य.पिव,अति.पिव,अल्पसंख्यक, बीपीएल,निःशक्त वर्ग) की छात्राओं को देय है। पुरस्कार प्रतिवर्ष स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिवस 19 नवम्बर को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर समारोहपूर्वक दिया जाएगा तथा नोडल एजेंसी – बालिका शिक्षा फाउण्डेशन है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2010–11 (संशोधित 05.03.2019)
4	लाभान्वित वर्ग	कक्षा–8, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तथा संस्कृत शिक्षा की कक्षा–8, प्रवेशिका एवं वरि.उपा. परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उक्त संवर्गों की नियमित अध्ययनरत छात्राएं। तथा नोडल एजेंसी – बालिका शिक्षा फाउण्डेशन है।
5	योजना की पात्रता	1. छात्रा ने अपने संवर्ग में कक्षा–8, 10 एवं 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकायों में अलग–अलग) की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो अथवा संस्कृत शिक्षा की कक्षा–8, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो। 2. छात्रा द्वारा उक्त परीक्षाओं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. बोर्ड परीक्षा के लिए प्रस्तुत आवेदनपत्र में छात्रा द्वारा भरा गया जाति/संवर्ग ही अंतिम रूप से मान्य होगा। 4. छात्रा अगली कक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्रसं	कक्षा	देय पुरस्कार
1	8 (शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा)	40,000/–
2	10 एवं प्रवेशिका	75,000/–
3	12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय	1,00,000/– एवं स्कूटी

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• परीक्षा अंकतालिका की प्रति • बैंक पासबुक की प्रति • नियमित अध्ययनरत का प्रमाणपत्र • जाति/श्रेणी का प्रमाणपत्र
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

17. विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना

1	योजना का नाम	विदेशोंमें स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा–10वीं की राज्य स्तरीय मैरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा (4 वर्षीय) प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तथा नोडल एजेंसी – बालिका शिक्षा फाउण्डेशन है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2010–11
4	लाभान्वित वर्ग	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा–10वीं की राज्य स्तरीय मैरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं।
5	योजना की पात्रता	1. छात्रा ने राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा–10वीं की राज्य स्तरीय मैरिट में प्रथम तीन तक स्थान प्राप्त किया हो। 2. छात्रा कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत हो।
6	योजना में देय सुविधाएं	क्रसं | कक्षा | देय राशि अधिकतम 1 | स्नातक (4वर्षीय) | 25,00,000/– प्रतिवर्ष
7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर अथवा कार्यालय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर अथवा कार्यालय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• परीक्षा अंकतालिका की प्रति • बैंक पासबुक की प्रति • नियमित अध्ययनरत का प्रमाणपत्र • अभिभावक का सहमति/अनुबंध पत्र
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर अथवा कार्यालय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

18. कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना

1	योजना का नाम	कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	1. राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उतीर्ण करने के पश्चात राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत रहने पर 2000/– रूपये की एस.टी.डी.आर. पांच वर्ष की देय है। 2. इसी प्रकार उक्त छात्रा को राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रह कर कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए किसी स्नातक पाठयक्रम कें प्रथम वर्ष में अध्ययनरत रहने पर 4000/– रूपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की अवधि की देय है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2007–08
4	लाभान्वित वर्ग	राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्राएं।
5	योजना की पात्रता	1. राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा। 2. राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उतीर्ण उक्त छात्राएं। 3. राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 12 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उतीर्ण उक्त छात्राएं। 4. उक्त छात्राएंस्नातक स्तर तक नियमित अध्ययनरत हों।
6	योजना में देय सुविधाएं	क्रसं | कक्षा | देय एस.टी.डी.आर. 1 | 11 अध्ययनरत | 2,000/–पांच वर्षीय 2 | स्नातक अध्ययनरत | 4,000/– तीन वर्षीय
7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• परीक्षा अंकतालिका की प्रति • बैंक पासबुक की प्रति • नियमित अध्ययनरत का प्रमाणपत्र • भामाशाह व आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।

19. मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना

<table>
<tr><td>1</td><td>योजना का नाम</td><td>मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना</td></tr>
<tr><td>2</td><td>योजना का संक्षिप्त परिचय</td><td>योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 की परीक्षा में प्रत्येक जिले में –
• प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालीं 02 मेधावी छात्राएं। (न्यूनतम अंक 75%)
• प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बी.पी.एल. परिवार की 01 मेधावी छात्रा।(न्यूनतम अंक 75%)
• प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ 01 मेधावी छात्रा। (न्यूनतम अंक 75%)
को स्नातकोत्तर स्तर तक नियमित अध्ययन करने पर आर्थिक सहायता देय है तथा नोडल एजेंसी – बालिका शिक्षा फाउण्डेशन है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष</td><td>वर्ष 2015–17 (अंतिम संशोधन 2018–19)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>लाभान्वित वर्ग</td><td>उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले से 04 मेधावी छात्राएं</td></tr>
<tr><td>5</td><td>योजना की पात्रता</td><td>1. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 की परीक्षा में प्रत्येक जिले में –
• प्रथम व द्वितीय स्थान (न्यूनतम 75% अंक अनिवार्य) प्राप्त करने वालीं 02 मेधावी छात्राएं।
• प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बी.पी.एल. परिवार की 01 मेधावी छात्रा।
• प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ श्रेणी की 01 मेधावी छात्रा।
2. उक्त छात्राएं स्नातकोत्तर स्तर तक नियमित अध्ययनरत रहें।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>योजना में देय सुविधाएं</td><td><table>
<tr><td rowspan="2">क्र सं</td><td rowspan="2">कक्षा</td><td colspan="2">देय राशि</td></tr>
<tr><td>एक मुश्त सहायता</td><td>छात्रावास/कोचिंग के बिल प्रस्तुत करने पर</td></tr>
<tr><td>1</td><td>11 व 12</td><td>15,000/– प्रतिवर्ष</td><td>1,00,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम</td></tr>
<tr><td>2</td><td>स्नातक व स्नातकोत्तर</td><td>25,000/– प्रतिवर्ष</td><td>2,00,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय</td><td>संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता</td><td>संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज</td><td>• परीक्षा अंकतालिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति
• नियमित अध्ययन प्रमाणपत्र, भामाशाह–आधार नंबर
• बीपीएल/अनाथ होने का प्रमाण</td></tr>
<tr><td>10</td><td>योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र</td><td>सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय</td></tr>
<tr><td>11</td><td>भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात</td><td>शत–प्रतिशत राज्यसरकार द्वारा देय।</td></tr>
</table>

खण्ड – 3

अन्य प्रोत्साहन योजनाएं

20.आर्थिक पिछड़ा वर्ग केसामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना

<table>
<tr><td>1</td><td>योजना का नाम</td><td>आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना</td></tr>
<tr><td>2</td><td>योजना का संक्षिप्त परिचय</td><td>राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रत्येक संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की घोषित राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100–100 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000/– रु एवं प्रशस्तिपत्र देय है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष</td><td>वर्ष 2017–18</td></tr>
<tr><td>4</td><td>लाभान्वित वर्ग</td><td>उपरोक्तानुसार राज्य के 400 मेधावी विद्यार्थी</td></tr>
<tr><td>5</td><td>योजना की पात्रता</td><td>1. विद्यार्थी सामान्य संवर्ग का हो।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10, प्रवेशिका, 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
3. विद्यार्थी के माता–पिता की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रु 2.5 लाख से कम हो।
4. जिन छात्राओं को बजट घोषणा 155.0.4 में स्कूटी प्राप्त हुई है वे पात्र नहीं हैं।
5. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के पात्र मेधावी विद्यार्थियोंका विवरण–
<table>
<tr><td>क्रस</td><td>परीक्षा का नाम</td><td>विद्यार्थी संख्या</td></tr>
<tr><td>1</td><td>माध्यमिक (10)</td><td>98</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रवेशिका</td><td>02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उ.मा. (12) विज्ञान</td><td>98</td></tr>
<tr><td>4</td><td>उ.मा. (12) वाणिज्य</td><td>98</td></tr>
<tr><td>5</td><td>उ.मा. (12) कला</td><td>98</td></tr>
<tr><td>6</td><td>वरिष्ठ उपाध्याय</td><td>06</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>400</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>योजना में देय सुविधाएं</td><td>एक मुश्त रु 15,000/– एवं प्रशस्तिपत्र</td></tr>
<tr><td>7</td><td>योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय</td><td>संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता</td><td>संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज</td><td>• परीक्षा अंकतालिका की प्रति
• आय प्रमाणपत्र
• बैंक पासबुक की प्रति
• भामाशाह–आधार नंबर</td></tr>
<tr><td>10</td><td>योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र</td><td>सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय</td></tr>
<tr><td>11</td><td>भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात</td><td>शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।</td></tr>
</table>

21. इन्सपायर अवार्ड–मानक योजना

1	योजना का नाम	इन्सपायर अवार्ड–मानक योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	इन्सपायर एवार्ड योजना का उद्देश्य वस्तुतः प्रतिभावान विद्यार्थियों को विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में नवाचार/ सृजनात्मकता के लिए प्रोत्साहित करना तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में उनका भविष्य बनाना है। योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियों को समाज के लिए उपयोगी मौलिक वैज्ञानिक विचारों (IDEAS) को मूर्त्त रूप देने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक एवं वैयक्तिक सहायता प्रदान की जाती हैतथा नोडल एजेंसी **Government of India Ministry of science & Technology,Department of Science & Tecnology(DST)**तथा **National Innovation Foundation –India(NIF)**है।
3	योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	वर्ष 2009–10
4	लाभान्वित वर्ग	कक्षा 6 से 10 के चयनित विद्यार्थी
5	योजना की पात्रता	1. विद्यार्थी कक्षा 6 से 10 में नियमित अध्ययनरत हो 2. विद्यार्थी 10 से 15 वर्ष आयुवर्ग का हो 3. विद्यार्थी के पास समाज के लिए उपयोगी नवाचारी/सृजनात्मक मौलिक वैज्ञानिक विचार हो 4. विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है E-MIASपोर्टल पर पंजीकृत हो
6	योजना में देय सुविधाएं	

क्रस	विवरण	देय राशि
1	देश भर से चयनित विद्यार्थियों के 1,00,000 नवाचारी विचार	10,000/– (through DBT)
2	SLEPC के लिए चयनित श्रेष्ठ 10% नवाचारी विचार	20,000/– (through DBT)
3	NLEPC के लिए चयनित श्रेष्ठ 10% को प्रोटोटाईप निर्माण हेतु	गुणवत्तानुसार

7	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	विद्यालय द्वाराE-MIASपोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन
8	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	विद्यालय द्वारा E-MIASपोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ 2 से 3 नवाचारी/सृजनात्मक मौलिक विचार (IDEAS)संक्षिप्त विवरण (Synopsis)सहित अपलोड/नॉमिनेट किए जाते हैं।
9	योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	• नवाचारी/सृजनात्मक विचार का संक्षिप्त विवरण (SYNOPSIS) • विद्यार्थी की बैंक खाता पासबुक की प्रति • आधार नंबर
10	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– मुख्यालय
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात	शत–प्रतिशत केन्द्रसरकार द्वारा देय।